## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 248 सन 2022

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. आदराम उर्फ आत्माराम पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. लाली पत्नी रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. जमना पुत्री रामेश्रर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. धापी पुत्री रामेश्रर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. पार्वती पुत्री रामेश्रर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. रूकमा पुत्री रामेश्रर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. रामेती पुत्री रामेश्रर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. शान्तिदेवी पुत्री रामेश्रर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. सुमित्रा पुत्री रामेश्रर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. लालचन्द उर्फ पपू पुत्र सावंलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. नागरदास पुत्र सावंलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. राजपाल पुत्र सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. धर्मपाल पुत्र सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
14. मोहरसिह पुत्र सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
15. सुमित्रा पुंत्री सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
16. कृष्णा पुत्री सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
17. गुडडी पुत्री सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
18. रामकुमार पुत्र हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
19. लाधुराम पुत्र हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
20. गीता पुत्री हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
21. जमना पुत्र हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

23. गिरधारीदाास पुत्र लेखराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

**निर्णय दिनांक :–** 4/5/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 150/152 की कुल 9.0700हैक जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब यानी प्रत्येक 1/10 ,1/10 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है व रोही मोजा पाण्डुसर के खाता संख्या 34/39 की कुल 24.4320हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 23 मुश्तरका खाते मे दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ,23 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जो पूर्वज हरदास के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है।

वादी व प्रतिवादी 1 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता व बहने है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 की बहने है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 20 ,21 प्रतिवादी संख्या 18 ,19 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ता 17 ,20 ,21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 14 ,18 ,19 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 14 ,18 ,19 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 14 ,18 ,19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 15 ,18 ,19 के हक हिस्सा की भूमि है को अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वजों के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,15 ता 17 ,20 ,21 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,15 ता 17 ,18 ,19 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,15 ता 17 ,18 ,19 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,15 ता 19 के नाम उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 22 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 150/152 की कुल 9.0700हैक जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब यानी प्रत्येक 1/10 ,1/10 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है व रोही मोजा पाण्डुसर के खाता संख्या 34/39 की कुल 24.4320हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 23 मुश्तरका खाते मे दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ,23 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जो पूर्वज हरदास के देहान्त होने पर विरास्तन से दर्ज हुई है।

वादी व प्रतिवादी 1 ता 21 एक ही परिवार के सदस्य है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 की माता व बहने है तथा प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 की बहने है इसीप्रकार प्रतिवादी संख्या 20 ,21 प्रतिवादी संख्या 18 ,19 की बहने है प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,14 ता 17 ,20 ,21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 14 ,18 ,19 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 14 ,18 ,19 के हक हिस्सा की भूमि है तथा वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 14 ,18 ,19 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर लिया है जो वाद की मद संख्या 5 में दर्ज है उसी के अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हको को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 150/152 की कुल 9.0700हैक जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब यानी प्रत्येक 1/10 ,1/10 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है व रोही मोजा पाण्डुसर के खाता संख्या 34/39 की कुल 24.4320हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 23 मुश्तरका खाते मे दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हरदास के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,15 ता 17 ,20 ,21 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,15 ता 17 ,20 ,21 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,10 ता 14, 20, 21 , के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 ,15 ता 17 ,20 ,21 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 150/152 के खसरा न0 357/1 की 6.0700हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एव रोही मोजा पाण्डुसर के खाता संख्या 34/29 की कुल 24.4320हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिब 1.771हैक एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिब 6.2043हैक एवं प्रतिवादी संख्या 18 ,19 बहिब 12.4087हैक एवं प्रतिवादी संख्या 23 अकेला 4.048हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/05/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 आदराम उर्फ आत्माराम पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
2. लाली पत्नी रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
3. जमना पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
4. धापी पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
5. पार्वती पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
6. रूकमा पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
7. रामेती पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
8. शान्तिदेवी पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
9. सुमित्रा पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
10. लालचन्द उर्फ पप्पू पुत्र सावंलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
11. नागरदास पुत्र सावंलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
12. राजपाल पुत्र सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
13. धर्मपाल पुत्र सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
14. मोहरसिह पुत्र सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
15. सुमित्रा पुत्री सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
16. कृष्णा पुत्री सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
17. गुडडी पुत्री सांवलाराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
18. रामकुमार पुत्र हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
19. लाधुराम पुत्र हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
20. गीता पुत्री हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
21. जमना पुत्र हरदास जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

23. गिरधारीदास पुत्र लेखराम जाति स्वामी निवासी पाण्डुसर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 248 सन 2022 निर्णय दिनांक– 6/5/2022**

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा पाण्डुसर के खाता संख्या 150/152 के खसरा न0 357/1 की 6.0700हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिव 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव रोही मोजा पाण्डुसर के खाता संख्या 34/29 की कुल 24.4320हैक भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिव 1.771हैक एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 14 बहिव 6.2043हैक एवं प्रतिवादी संख्या 18 ,19 बहिव 12.4087हैक एवं प्रतिवादी संख्या 23 अकेला 4.048हैक भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/5/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner